योजनाओं के अधीन,जिनका प्रशासन निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सरकार ने राज्य सरकारों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कितना धन दिया है; और

(ख) उक्त गृह-निर्माण योजनाओं के अधीन इसी अवधि में अब तक कितने घरों का निर्माण हो चुका है ?

t[DISBURSEMENT OF LOANS TO STATES FOR HOUSING SCHEMES

51. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the amount so far advanced by Government to the State Governments under the Low Income Group Housing Scheme and other housing schemes administered by the Ministry of Works, Housing and Supply during the Second Five Year Plan period; and

(b) the number of houses so far constructed during the same period under these Schemes?]

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में २८-२-५८ तक राज्य सरकारों को आवास योजनाओं के लिये १२२४·०६५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं। इसमें से ७९७·४४ लाख रुपये कम आमदनी वालों के लिये गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं।

(ख) अब तक प्राप्त हुए प्रगति-विवरणों के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३९,६०० मकान तैयार हुए हैं।

t[THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI K. C. REDDY): (a) A total amount of Rs. 1,224-095 lakhs has been advanced to the State Governments under the Housing Schemes, up to 28-2-1958, during the Second Five Year Plan. Of this, Rs. 797" 44 lakhs have been disbursed under the Low Income Group Housing Scheme.

(b) According to the progress reports received so far, about 39,600 houses have been completed during the Second Plan period.]

[ ] English translation.

EXPORT OF INDIAN CLOTH TO AFGHANISTAN

52. SHRI MAHABIR PRASAD: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state the figures relating to export of Indian cloth to Afghanistan during the years 1955, 1956 and 1957?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI MORARJI R. DESAI): Figures relating to exports of cotton cloth to Afghanistan are given below: -

Year	Quantity (in '000 yds.)	Value (in '000 Rs.)
1955	13,328	93,03
1956	11,519	86,77
1957 (Jan.-Sept.)	8,762	57,09

REQUEST FOR THE TAKING UP OF GENERAL DISCUSSION ON BUDGET

SHRI AMOLAKH CHAND (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, from the agenda what we find is that there is one Bill for reference to the Select Committee but the hon. Member is not present here in the House. The second is a Bill which may not cover the whole day. May I respectfully submit that the Budget discussion may be continued today if it is not inconvenient to the House and to the Government?

MR. CHAIRMAN: We will take it up when this discussion is over. Shrimati Nigam.

SHRI V. K. DHAGE (Bombay): Sir, what is the decision?

MR. CHAIRMAN: She goes on **with** this and we will see at the end.

SHRI V. K. DHAGE: There is another Bill on the Agenda.

MR. CHAIRMAN: He has said that he is not moving it.

THE PUNISHMENT FOR MOLESTATION OF WOMEN BILL, 1958

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for punishment of persons guilty of molesting women be taken into consideration."

सभापति महोदय, सदन के सम्मुख किसी विधेयक को लाने के अनेक उद्देश्य होते हैं, इस विधेयक को मैं इसलिये नहीं लाई कि मुझे बिल ड्राफ्ट करने का या कानूनी बातों का बहुत कुछ ज्ञान है, किन्तु एक समाज सेविका के नाते मैंने यह अनुभव किया कि आज कल दिल्ली और तमाम बड़े बड़े शहरों में गुंडागर्दी, किडनैपिंग इंसल्टिंग और मोलस्टेशन के केसेज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह एक बहुत चिन्ता की बात है ।

आज इस बीसवीं सदी में भी कालेज में पढ़ने वाली लड़कियां और आफिस में काम करने वाली स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने में अपने को सुरक्षित अनुभव न कर सकें, यह देश के लिये और हमारे लिये बड़ी ही अशोभनीय और ग्लानि की बात है । यदि हम पिछले सालों की फिगर्स देखें—उन केसेज के फिगर्स जो कि सिर्फ कोर्ट में लाये गये—तो हमको एक प्रकार से बड़ा आश्चर्य होता है । सन् १९५४–५५ और १९५५–५६ में एसे जितने केसेज कोर्टस में ट्राई किये गये और पुलिस में रिपोर्ट हुए, उनसे १९५६–५७ में उनकी संख्या लगभग दुगुनी हो गई है । ऐसे करुणाजनक मामले हमारे सामने, विशेष रूप से समाज सेवियों के सामने उपस्थित होते हैं जिनमें बेचारी लड़कियों के अभिभावक न तो इतना पैसा ही रखते हैं कि वे कोर्ट में जा सकें; वे तमाम अदालती कार्यवाही के लिये न तो इतना पैसा दे सकते हैं और न इतना समय दे सकते हैं । इनके अतिरिक्त वे लड़कियां हैं जिनके पिता या अभिभावक पैसा रखते हैं और कोर्ट में भी जा सकते हैं लेकिन वे बदनामी, शर्म और समाज के डर से बिलकुल छिपा कर रह जाते हैं, और इसके बाद वे लड़कियां हैं जिनके घर वाले सशक्त हैं, सम्पन्न हैं, समाज से भी इतना नहीं डरते हैं और समाज सेवियों की मदद से अदालतों में मामला ले जाते हैं लेकिन उनमें भी होता यह है कि महीनों की लम्बी प्रोसीडिंग्स के बाद, बड़ी कार्यवाहियों के बाद, वकीलों के तमाम चक्करों में फंसने के बाद भी ७५ या ७६ फीसदी केसेज में ये कलप्रिट बिल्कुल छूट जाते हैं और वे बेचारी लड़कियां इंसल्टेड हो कर, तरह तरह के कष्ट और परेशानी में डालने वाले अनुभवों के बाद, फिर ज्यों की त्यों वापिस आ जाती हैं । एक तो दुगुनी इंसल्ट और बदनामी हुई, दूसरे तमाम खर्चा और परेशानी हुई और फिर तीसरा उसका नतीजा यह होता है कि वे गुंडे लोग, जो कि इस तरह की गुंडागर्दी में फंसे हैं और उनका यह एक व्यवसाय सा बन गया है, वे बड़े आनन्द से निकल कर यह चैलेंज करते हैं कि अभी तो हमने यह किया है लेकिन अब उन सब लोगों के परिवारों में भी इसी तरह हमला करेंगे जिन्होंने कि गवाही दी है और इस प्रकार के चैलेंजेज हमको रोज देखने और सुनने को मिलते हैं । श्रीमन्, अदालतों में भी वातावरण इतना विचित्र रहता है कि पढ़ी लिखी और ऊंचे परिवार की लड़कियों को भी इतना साहस नहीं होता है कि वे वहां कभी जायें । एक मामूली सा पेशकार, एक मामूली सा चपरासी तक उस बेचारी भले और अच्छे परिवार की लड़की के चरित्र पर शक करता है । जो भी सुनता है और देखता है वही यह सोचता है कि लड़की का कुछ न कुछ कसूर जरूर होगा । इसलिये मैं ने यह उचित समझा है कि जो ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार की गुंडागर्दी में फंसे हैं,